षोडश बिहार विधान सभा

दशम् सत्र

दैनिक विवरणिका

संख्या-03 मंगलवार, दिनांक-24 जुलाई, 2018 ई० ।

माननीय अध्यक्ष, श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में सभा की कार्यवाही प्रारंभ हुई ।

समय : 11.00 बजे पूर्वाह्न से 11.18 बजे पूर्वाह्न तक

[1] कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन :-

माननीय नेता विरोधी दल, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा दिनांक 23.07.2018 को सम्पन्न हुई कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन को सभा पटल पर रखा गया जिसमें निम्न अनुशंसाएँ की गयी हैं :-

(i) बुधवार, दिनांक 25 जुलाई, 2018 को सभा की बैठक 09:00 बजे पूर्वा० से होगी तथा 09:00 बजे पूर्वा० से 11 बजे पूर्वा० तक राज्य में सूखाड़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर नियम-43 के तहत विमर्श होगा;

(ii) शेष कार्य यथावत रहेंगे ।

समिति की उक्त अनुशंसाओं पर सदन की सहमति हुई ।

[2] सभा मेज पर कागजात का रखा जाना :-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री श्रवण कुमार द्वारा षोडश बिहार विधान सभा के द्वितीय एवं तृतीय सत्र के 230 अनागत तारांकित प्रश्नोत्तर की प्रतियों को सभा मेज पर रखा गया ।

[3] अन्य चर्चा :-

प्रश्नकाल प्रारम्भ होते ही माननीय नेता विरोधी दल द्वारा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड पर कार्यस्थगन के तहत चर्चा कराने की मांग की गई एवं विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गये ।

आसन द्वारा कहा गया कि यह महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील मुद्दा है । अखबारों में भी आ रहा है । लड़कियों के अस्मत से जुड़ा मामला है । आसन चाहता है कि इसका निदान हो ।

किन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यों का वेल में शोरगुल जारी रहा ।

आसन द्वारा पुनः कहा गया कि सभा की सहमति हो तो मैं सरकार को निदेश दूँगा कि कल ही इस विषय पर अपना विस्तृत प्रतिवेदन दें ।

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा कहा गया कि सरकार वक्तव्य देने को तैयार है । आसन के निदेश का पालन किया जाएगा ।

माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा भी कहा गया कि आसन यदि समय निर्धारित कर दे तो सरकार की ओर से आज ही वक्तव्य दिया जा सकता है ।

किन्तु सदन में शान्ति कायम नहीं हो सकी और सभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित हुई ।

<u>भोजनावकाश के बाद</u>

(02.00 बजे अप० से 04.28 बजे अप० तक)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

[4] <u>सभा मेज पर कागजात का रखा जाना</u> :-

(i) माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन, जिसे विधान मंडल के समक्ष रखने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने महामहिम राज्यपाल के पास भेजा है, की एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(ii) माननीय मंत्री, वित्त विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा प्रस्ताव किया गया कि "भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष का सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों पर प्रतिवेदन बिहार विधान सभा के समक्ष रखे जाने के पश्चात् और उसपर सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति द्वारा विचार किये जाने के पूर्व यह जनता में बिक्री के लिए प्राप्य हो ।"

इस प्रस्ताव पर सदन की सहमति हुई ।

[5] <u>बिहार विधान सभा की समितियों का प्रतिवेदन</u> :-

(i) माननीय सभापति, लोक लेखा समिति, श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी द्वारा समिति का 639वाँ, 640वाँ, 643वाँ, 644वाँ, 645वाँ, 646वाँ, 647वाँ, 648वाँ, 649वाँ, 650वाँ, 651वाँ, 652वाँ, 653वाँ, 654वाँ, 655वाँ, 656वाँ, 657वाँ, 658वाँ, 659वाँ, 660वाँ, 661वाँ, 662वाँ, 663वाँ, 664वाँ, 665वाँ, 666वाँ, 667वाँ, 668वाँ, 669वाँ, 670वाँ, 671वाँ एवं 672वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(ii) माननीय सभापति, राजकीय आश्वासन समिति, श्री अजय कुमार मंडल द्वारा समिति का 251वाँ, 252वाँ, 260वाँ, 266वाँ एवं 267वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

(iii) माननीय सभापति, सरकार उपक्रमों संबंधी समिति, श्री हरिनारायण सिंह द्वारा समिति का 198वाँ एवं 199वाँ प्रतिवेदन की एक-एक प्रति को सभा मेज पर रखा गया ।

[6] <u>आसन की घोषणा</u> :-

आसन से घोषणा की गई कि माननीय सदस्यों द्वारा मुजफ्फरपुर बालिका गृह की घटना के संबंध में मामला उठाया गया था और आसन से निदेश हुआ था कि सरकार इसपर विस्तृत वक्तव्य दे । सरकार ने इसपर आज ही वक्तव्य देने की सूचना दी है । अत: आज विधायी कार्य समाप्त होने के पश्चात् सरकार इसपर अपना वक्तव्य देगी ।

तत्पश्चात् भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विधान मंडल दल के नेता श्री सदानंद सिंह द्वारा सदन को सूचित किया गया कि पटना स्थित धरना प्रदर्शन स्थल पर कांग्रेस के माननीय सदस्यों के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार किया गया है ।

आसन द्वारा कहा गया कि इस संबंध में सरकार कल अपना वक्तव्य देगी ।

इस दौरान विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए वेल में आ गए ।

आसन द्वारा माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि वे अपने-अपने स्थान पर जाकर अपनी बातों को कहें । किन्तु विपक्ष के माननीय सदस्यगण शोरगुल करते हुए सदन से बहिर्गमन कर गये ।

[7] **विधायी कार्य :- राजकीय विधेयक :-**

(i) **"बिहार वित्त विधेयक, 2018" :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, वाणिज्य-कर विभाग, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन की सहमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ और विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, श्री ललित कुमार यादव, श्री मो० नेमतुल्लाह, श्री भोला यादव एवं डॉ० रामानुज प्रसाद का नाम आसन से पुकारा गया किन्तु उनके अनुपस्थिति के कारण किसी भी संशोधन को प्रस्तुत नहीं किया गया ।

तदोपरान्त् विधेयक पर विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति के उपरांत खंडश: विचार के क्रम में बारी-बारी से सभी खंड विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

तत्पश्चात् "बिहार वित्त विधेयक, 2018" सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हुआ ।

(ii) **"दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018" :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग, श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय का नाम आसन से पुकारा गया किन्तु उनके अनुपस्थिति के कारण किसी भी संशोधन को प्रस्तुत नहीं किया गया ।

माननीय प्रभारी मंत्री, समाज कल्याण विभाग, श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया ।

स्वीकृति के प्रस्ताव पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपना पक्ष रखा :-

(i) श्री मिथिलेश तिवारी
(ii) श्री वशिष्ठ सिंह
(iii) श्री राजू तिवारी
(iv) श्री रत्नेश सादा
(v) श्रीमती रंजू गीता
(vi) श्री ललन पासवान
(vii) श्री तारकिशोर प्रसाद
(viii) श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह
(ix) श्रीमती अरूणा देवी
(x) श्री राजीव नंदन
(xi) श्री सत्यदेव सिंह
(xii) श्री सचीन्द्र प्रसाद सिंह
(xiii) श्री लक्ष्मेश्वर राय
(xiv) श्रीमती पूनम देवी यादव
(xv) श्रीमती कविता सिंह

तत्पश्चात् माननीय प्रभारी मंत्री द्वारा विधेयक के संबंध में अपना पक्ष रखा गया ।

तदोपरान्त् "दहेज प्रतिषेध (बिहार संशोधन) (निरसन) विधेयक, 2018" ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

(iii) **"बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018" :-**

माननीय प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, श्री पशुपति कुमार पारस द्वारा सदन की अनुमति से विधेयक सदन में पुरःस्थापित हुआ तथा विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

माननीय सदस्य श्री रामदेव राय एवं श्री ललित कुमार यादव का नाम आसन से पुकारा गया किन्तु उनके अनुपस्थिति के कारण किसी भी संशोधन को प्रस्तुत नहीं किया गया ।

विचार के प्रस्ताव की स्वीकृति उपरांत खण्डश: विचार के क्रम में सभी खण्ड बारी-बारी से विधेयक के अंग बने ।

माननीय प्रभारी मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, श्री पशुपति कुमार पारस द्वारा विधेयक के स्वीकृति का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया गया एवं पक्ष रखा गया ।

तत्पश्चात् ''बिहार मत्स्य जलकर प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2018'' ध्वनिमत से सदन द्वारा स्वीकृत हुआ ।

[8] सरकार का वक्तव्य :-

माननीय मंत्री, संसदीय कार्य विभाग, श्री श्रवण कुमार द्वारा मुजफ्फरपुर बालिका गृह में घटित घटना के संबंध में सरकार की ओर से विस्तारपूर्वक वक्तव्य प्रस्तुत किया गया ।

[9] निवेदन :-

आसन द्वारा घोषणा की गई कि आज के लिए स्वीकृत कुल-51 निवेदनों को सदन की सहमति से संबंधित विभागों को भेज दिए जायेंगे ।

तत्पश्चात् सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 25 जुलाई, 2018 को 09.00 बजे पूर्वा० तक के लिए स्थगित हुई ।

पटना
दिनांक-24.07.2018

राजीव कुमार
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।